सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

संस्कृति मंत्रालय

भारत सरकार

कीर्ति स्तम्भ
चित्तौड, राजस्थान

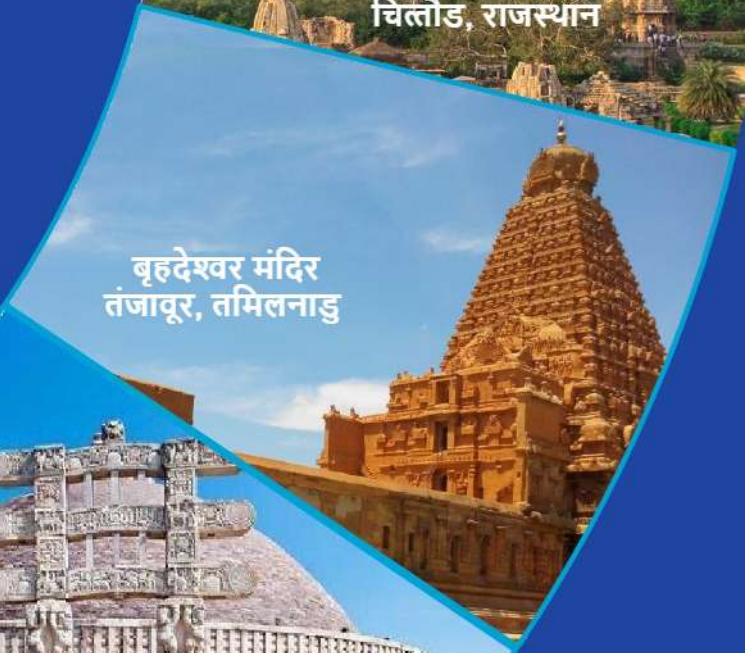

बृहदेश्वर मंदिर
तंजावूर, तमिलनाडु

सांची स्तूप
रायसेन, मध्य प्रदेश

सूर्य मंदिर
कोणार्क, ओडिशा

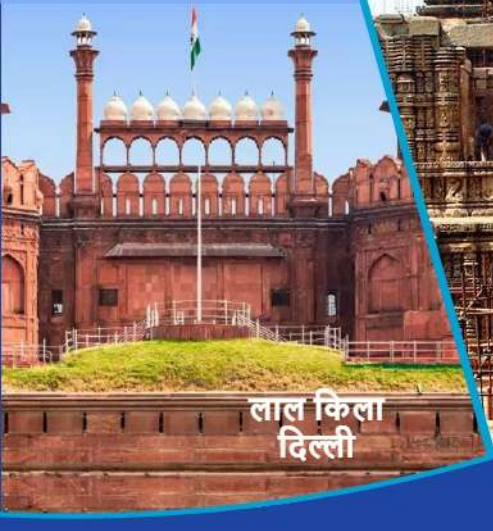

लाल किला
दिल्ली

"जब तक हम अपनी विरासत पर गर्व महसूस नहीं करते, तब तक हम इसे संरक्षित नहीं कर पाएंगे और हमें ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण में नागरिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नए तरीके तलाशने की जरूरत है।"

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है जो प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अधिनियम (संशोधन एवं विधिमान्यकरण), 2010 के उपबंधों के तहत 2011 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अधिदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों के आस-पास के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों के प्रबंधन के माध्यम से उनका संरक्षण एवं परिरक्षण करना शामिल है।

प्राधिकरण की संरचना

(एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20एफ)

- अध्यक्ष
- 5 पूर्णकालिक सदस्य
- 5 अंशकालिक सदस्य
- महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पदेन सदस्य
- सदस्य सचिव

<u>राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के कार्य :</u>

- देश के विभिन्न भागों में स्थित 24 सक्षम प्राधिकारियों के कामकाज की निगरानी करना।
- विनियमित क्षेत्रों में प्रस्तावित बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं के विरासत प्रभाव आकलन पर विचार करना और सक्षम प्राधिकारियों को सिफारिश करना।
- केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में निर्माण/पुनर्निर्माण/मरम्मत/नवीकरण,जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को सिफारिश करना।
- स्मारक विशिष्ट विरासत उप-विधियां बनाना।
- केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के श्रेणीकरण एंव वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करना

<u>विरासत उप-विधियों के लिए मानदंड तथा केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों का प्रवर्गीकरण एवं वर्गीकरण -</u>

- स्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व
- स्मारक की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि)
- संरक्षित स्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता
- भू-उपयोग अभिचिन्हित करना
- संरक्षित स्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहरों के अवशेष
- सांस्कृतिक परिदृश्य

संपूर्ण देश में कुल 3695 केंद्रीय संरक्षित स्मारक एवं स्थल हैं

अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कैसे करें-

प्रतिषिद्ध क्षेत्र-

सीमाएं	प्रस्तावित गतिविधियां	आवेदन कैसे करें	संदर्भ
संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र की सीमा से सभी दिशाओं में 100 मीटर	सार्वजनिक परियोजना सहित निर्माण, सार्वजनिक या अन्य निर्माण के लिए आवश्यक परियोजना	अनुमति नहीं	ए.एम.ए.एस.आर.अधिनियम, 1958 की धारा 20ए (4)
	सार्वजनिक सुविधाएं	आवेदक अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को प्रपत्र - I में आवेदन करें।	• ए एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 2 (डीसी) में निर्माण की परिभाषा से छूट के तहत अनुमति • एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (सक्षम प्राधिकारी आदि) नियम, 2011 का नियम 6 (iii) और 7
	प्राकृतिक आपदाओं में ध्वस्त या क्षतिग्रस्त भवन या संरचनाओं का पुनर्निर्माण	फॉर्म-I का प्रारूप एएमएएसआर (सक्षम प्राधिकारी आदि) नियम, 2011 के नियम 23 के बाद दिया गया है।	• एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (सक्षम प्राधिकारी आदि) नियम, 2011 का नियम 16
	मौजूदा भवन या संरचना की मरम्मत और नवीनीकरण		• एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20**सी** (1) • एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (सक्षम प्राधिकारी आदि) नियम, 2011 का नियम 6(vi) और 8

विनियमित क्षेत्र –

सीमाएं	प्रस्तावित गतिविधियां	आवेदन कैसे करें	संदर्भ
प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से सभी दिशाओं में 200 मीटर	निर्माण	आवेदक अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को प्रपत्र - I में आवेदन करें फॉर्म-I का प्रारूप एएमएएसआर (सक्षम प्राधिकारी आदि) नियम, 2011 के नियम 23 के बाद दिया गया है। दिए गए प्रपत्र-I का प्रारूप	• एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20 सी (2) • एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (सक्षम प्राधिकारी आदि) नियमावली, 2011 के नियम 6(i), (ii), (iii), (v) और 7
	पुनर्निर्माण		• एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20सी (2) • एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (सक्षम प्राधिकारी आदि) नियम, 2011 का नियम 6(iv) और 7
	मरम्मत और नवीनीकरण		• एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20सी (2) • एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (सक्षम प्राधिकारी आदि) नियम, 2011 का नियम 6 (vii) और 8

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.)ऑनलाइन आवेदन और प्रोसेसिंग प्रणाली (एनओएपीएस)

- 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के भाग के रूप में आवेदक के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया।
- इसे, भुवन पोर्टल में उपलब्ध केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के भू-स्थानिक मानचित्रण के लिए इसरो एप्लिकेशन **"स्मारक"**(SMARC) ऐप के साथ एकीकृत किया गया है।
- उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों जो **"स्मारक"** (SMARC) ऐप पर उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए आवेदक को ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा।

प्रधानमंत्री गति-शक्ति परियोजना के भाग के रूप में एनओएपीएस को डीपीआईआईटी की राष्ट्रीय केंद्रीकृत एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत किया गया है।.

एनओएपीएस में आवेदन कैसे करें–

- प्रपत्र-I को ऑनलाइन भरें और सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- अपने एंड्रॉइड (Android)मोबाइल पर "**इसरो स्मारक**" (ISRO SMARC) ऐप डाउनलोड करें।
- **"स्मारक"** (SMARC) ऐप का उपयोग करके निर्माण के प्रस्तावित स्थल के निर्देशांक अपलोड करें।
- विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए कृपया nma.gov.in, http://nmanoc.gov.in पर जाएं।

शहरी स्थानीय निकायों, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लिए, आवेदक को पहले शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और SMARC निर्देशांक अपलोड करने के लिए टोकन/पासवर्ड जेनरेट करने के लिए लागू शुल्क का भुगतान करना होगा

सक्षम प्राधिकारी एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20डी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसी भी स्थिति हो, आवेदक को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की सिफारिशों से अवगत कराएंगे।

विवरण और पूछताछ के लिए कृपया निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क करें :

निदेशक
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय,
भारत सरकार 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष: +91-11-23380532
ई-मेल : director@nma.gov.in
वेबसाइट: nma.gov.in